न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 प्रतिमा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 03/2025

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. जसवंत कंवर उर्फ अरूणा बेवा स्व. महेन्द्रसिंह राजपूत निवासी– बलून्दा हाल– 2292–ग, संखवास हाउस, मगराज का टांका, मण्डोर रोड, जोधपुर		1. लोकेन्द्रसिंह पुत्र स्व. महेन्द्रसिंह निवासी– बलून्दा, हाउस, जालोरी बार के अन्दर, तहसील व जिला जोधपुर। 2. श्रीमती रसाल कंवर पत्नी स्व0 जसवन्तसिंह निवासी– बलून्दा, हाउस, जालोरी बार के अन्दर, तहसील व जिला जोधपुर। 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 27.11.2024 जो न्यायालय तहसीलदार, रोहट जिला पाली के द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 01/2022 अनवान जसवन्तकंवर बनाम लोकेन्द्रसिंह वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री हनवन्तसिंह बालोत विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री अनोप सिंह सोलंकी, विद्वान अधिवक्ता रेस्पो.सं0 1 की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 08 दिसम्बर,2025

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय तहसीलदार, रोहट जिला पाली के द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 01/2022 अनवान जसवन्तकंवर बनाम लोकेन्द्रसिंह वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2024 के विरूद्व दिनांक 10.01.2025 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि स्व. महेन्द्रसिंह

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पुत्र श्यामसिंह जाति निवासी–बलून्दा की खातेदारी की ग्राम उमकली, तहसील रोहट में ख0सं0 88/1 रकबा 128 किस्म बारानी भूमि स्थित थी, जिसमें श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्यामसिंह का रकबा 64.00 बीघा हिस्सा आता था। श्री महेन्द्रसिंह ने अपीलार्थी श्रीमती जसवंतकंवर उर्फ अरूणा से विवाह किया हुआ था और अपीलार्थी के जीवनकाल में ही महेन्द्रसिंह ने अपीलार्थी से बिना तलाक लिये ही विधिविरूद्ध बाले–बाले दूसरा विवाह श्रीमती शोभाकंवर के साथ में कर लिया था। शोभाकंवर व महेन्द्रसिंह की शादी के उपरान्त उनके दो संताने एक लोकेन्द्रसिंह तथा दूसरा सुश्री निक्की का जन्म हुआ। श्री महेन्द्रसिंह का देहान्त दिनांक 13.06.1998 को हो गया। श्री महेन्द्रसिंह के देहान्त उपरान्त उनकी पहली पत्नी अपीलार्थी जसवंतकंवर के व शोभाकंवर से उत्पन्न दोनों संतान लोकेन्द्रसिंह व पुत्री निक्की तीनों के नाम का 1/3–1/3 हिस्से का फौतेदगी नामा0 सम्बन्धित अधिकारी को भरना चाहिये था परन्तु रेस्पो0 संख्या एक लोकेन्द्रसिंह ने मृतक महेन्द्रसिंह के अन्य सभी वारिसान को छुपाकर ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलीभगत कर अपने नाम से नामा0 संख्या 520 दिनांक 17.01.2019 को स्वीकृत करवा लिया गया।

3. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी को उक्त नामा. संख्या 520 स्वीकृत होने की जानकारी होने पर उक्त नामा. संख्या 520 को निरस्त करवाये जाने हेतु अपीलार्थी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय, रोहट के समक्ष प्रथम अपील संख्या 3/2019 पेश की गई जो उपखण्ड अधिकारी, रोहट के द्वारा स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा0 संख्या 520 दिनांक 17.01.2019 को निरस्त करते हुए तहसीलदार रोहट को प्रकरण रिमाण्ड करते हुए मृतक खातेदार महेन्द्रसिंह के सभी विधिक वारिसानों की जॉच कर सम्बन्धित सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर करने के बाद सुनवाई व जॉच के नामान्तरकरण पर विधि के अनुसार निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये।

4. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, रोहट के आदेश की पालना में तहसीलदार, रोहट ने सभी पक्षों को सुनकर बाद जॉच के दिनांक 27.11.2024 को यह निर्णय पारित किया कि उक्त आराजी में लोकेन्द्रसिंह को उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा का 2/3 भाग प्राप्त होता हैजिसमें लोकेन्द्रसिंह के द्वारा

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रकबा 16 बीघा भूमि का बेचान श्रीमती रसालकंवर व अन्य को कर दिया गया था। इस प्रकार महेन्द्रसिंह की मृत्यु दिनांक 13.6.1998 को हो जाने से मृतक महेन्द्रसिंह के विधिक वारिसान प्रथम पत्नी जसवंत कंवर का हिस्सा मात्र 1/3, द्वितीय पत्नी के पुत्र लोकेन्द्रसिंह का 5/12 एवं क्रेता किरण कंवर भाटी व रसाल कंवर का हिस्सा 1/4 दर्ज किया जावे। तहसीलदार, रोहट के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2024 विधि विरूद्ध पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार, रोहट के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2024 तथ्यों से परे व विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। श्री महेन्द्रसिंह के नाम की खातेदारी भूमि कुल रकबा 128 बीघा में से आधा हिस्सा यानि 64 बीघा का हिस्सा दर्ज था तथा श्री महेन्द्रसिंह के जीवनकाल में ही उनकी दूसरी पत्नी श्रीमती शोभाकंवर का भी देहान्त हो चुका था, इस प्रकार महेन्द्रसिंह की मृत्यु के पश्चात उनके कानूनी वारिस प्रथम पत्नी जसवंतकंवर व दो संताने लोकेन्द्रसिंह व सुश्री निक्की रहे थे। सुश्री निक्की का भी देहान्त हो गया था तत्पश्चात शेष वारिस में श्रीमती जसवंतकंवर व लोकेन्द्रसिंह रहे। ऐसे में महेन्द्रसिंह की भूमि 64 बीघा में से 1/2 हिस्सा श्रीमती जसवंतकंवर, 1/2 हिस्सा लोकेन्द्रसिंह का होता था, लोकेन्द्रसिंह द्वारा अपने हिस्से की भूमि रसाल कंवर व किरण कंवर को बेचान कर दी गई जिस पर अपीलार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

6. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार रोहट ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.11.2024 में सुश्री निक्की का पूरा हिस्सा एकमात्र उसके भाई लोकेन्द्रसिंह के हक–हिस्से में मान लिया है तथा स्व. महेन्द्रसिंह की उक्त भूमि में अपीलार्थी को 1/3 हिस्सा की ही हकदार माना गया है, वह विधि के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है क्योंकि सुश्री निक्की का देहान्त हो जाने पर जसवंत कंवर के हिस्से में 1/2 व लोकेन्द्रसिंह के 1/2 हिस्सा आना चाहिये था। इसके अतिरिक्त लोकेन्द्रसिंह के द्वारा महेन्द्रसिंह की पूर्व पत्नी अपीलार्थी श्रीमती जसवंत कंवर को जीवित न बताते हुए गलत तथ्य व सत्यता को छुपाकर भूमि रसालकंवर व किरण कंवर को बेचान कर पंजीयन करवाया गया था, उसकी जानकारी अपीलार्थी को होने पर उपरोक्त बेचान के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज करवाई

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

गई तथा पुलिस के द्वारा बाद जॉच सक्षम न्यायालय में चार्जशीट पेश की जा चुकी है। उक्त प्रकरण अभी भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली के न्यायालय में विचाराधीन है।

7. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की उक्त अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, रोहट के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2024 को अपास्त कर अपीलार्थी के पक्ष में प्रश्नगत 32 बीघा भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां यथा आधारकार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई, जिनका बगौर अवलोकन किया गया।

8. प्रत्युतर में रेस्पो. संख्या 01 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2024 पारित किया गया है वो विधि अनुकूल एवं उचित होने से यथावत रखे जाने योग्य है। श्री महेन्द्रसिंह की मृत्यु दिनांक 13.6.1998 को हो गई थी। श्री महेन्द्रसिंह रेस्पो0 संख्या 01 के पिता व अपीलार्थीया के पति थे, जिनके देहान्त के उपरान्त वादग्रस्त भूमि का विरासत का नामा0 संख्या 520 दिनांक 17.1.2019 को ग्राम पंचायत कुलथाना के द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामा0 संख्या 520 के विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रोहट के न्यायालय के समक्ष प्रथम राजस्व अपील संख्या 03/2019 पेश की गई। उपखण्ड अधिकारी, रोहट के द्वारा प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपने निर्णय दिनांक 29.11.2021 के द्वारा प्रकरण तहसीलदार रोहट को प्रतिप्रेषित कर मृतक खातेदार स्व. श्री महेन्द्रसिंह के विधिक वारिसानों की जॉच कर, बाद सुनवाई पुनः नये सिरे से नामा0 दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

9. रेस्पो0 संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, रोहट के न्यायालय द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 03/2019 में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2021 के कम में रिमाण्ड प्रकरण संख्या 01/2022 अनवान जसवंत कंवर बनाम लोकेन्द्रसिंह वगैराह दर्ज करते हुए उभय पक्षकारान को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का अवसर दिये जाने एवं श्री महेन्द्रसिंह के वारिसान की जॉच करवाये जाने के उपरान्त दिनांक 27.11.2024 को यह अपीलाधीन आदेश पारित किया

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

गया है कि स्व. महेन्द्रसिंह की प्रश्नगत खातेदारी 64 बीघा भूमि में उनके विधिक वारिसान प्रथम पत्नी जसवंतकंवर उर्फ अरूणा हिस्सा 1/3, द्वितीय पत्नी के पुत्र लोकेन्द्रसिंह हिस्सा 5/12 एवं केता किरणकंवर भाटी पत्नी राजसिंह, रसालकंवर पत्नी जसवंतसिंह हिस्सा 1/4 दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है, जो विधि के अनुकूल एवं उचित रूप से पारित किये गये है।

10. रेस्पो0 संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीया जसवंतकंवर ने अपनी शादी स्व. श्री महेन्द्रसिंह से वर्ष 1972 में होना उल्लेखित किया गया है, जबकि अपीलार्थिया के स्व. महेन्द्रसिंह के पत्नी होने सम्बन्धी वर्ष 1972 से 1925 तक की अवधि के कोई लीगल दस्तावेज नहीं है और न ही कही पर पेश किये गये है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वह उनकी पत्नी थी। स्व. महेन्द्रसिंह जो सरकारी कर्मचारी थे तथा एमईएस कार्यालय में नियुक्त रहे थे, उनके विभागीय दस्तावेज में भी जसवंतकंवर का नाम विधिक पत्नी के रूप में दर्ज नहीं हो रखा है, ऐसे में उन्हें स्व. महेन्द्रसिंह की विधिक पत्नी होना कैसे माना जा सकता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जो दस्तावेज न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किये है, वह सभी वर्ष 2005 के बाद के बने है जो फर्जी रूप से तैयार किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रोहट ने रिमाण्ड प्रकरण में जसवंतकंवर के निवास का पता जोधपुर होने के कारण तहसीलदार, जोधपुर से जॉच रिपोर्ट तलब की गई थी। तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा प्रथम बार सही रूप से जॉच कर नहीं भिजवाई गई थी, तत्पश्चात तहसीलदार, जोधपुर से दुबारा जॉच रिपोर्ट तलब की गई। उक्त द्वितीय जॉच रिपोर्ट दिनांक में तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा यह अंकित किया गया कि जसवंतकंवर स्व. महेन्द्रसिंह की विधिक पत्नी होने के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय से लीगल प्रमाण पत्र प्राप्त करे, परन्तु जसवंतकंवर के द्वारा ऐसा कोई लीगल दस्तावेज न तो प्राप्त किया गया और न ही प्रस्तुत किया गया था।

11. रेस्पो.संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में यह प्रावधान निर्धारित है कि यदि किसी पुरूष की मृत्यु बिना वसीयत किये हो जाती है तो शेडयूल–। के अनुसार निर्वसीयत की विधवा को या यदि एक से अधिक विधवाएं हो तो सब विधवाओं को मिलाकर एक अंश मिलेगा। निर्वसीयत

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

के उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों और माता, हर एक को एक–एक अंश मिलेगा। ऐसे में श्री महेन्द्रसिंह के उपरोक्त प्रश्नगत भूमि में 10–10 बीघा भूमि ही जसवंतकंवर व शोभाकंवर के हिस्से में बनती है। श्रीमती शोभा की भी मृत्यु हो चुकी थी, ऐसे में उनकी बिना वसीयत मृत्यु होने पर उनके हिस्से की भूमि भी उनके पुत्र व पुत्री के नाम ही आती थी। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने के समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में प्रावधित नियमों की पूर्णतः पालना नहीं की क्योंकि जसवंत कंवर के पक्ष में जब तक स्व. महेन्द्रसिंह की पत्नी होने सम्बन्धी विधिक एवं प्रमाणिक दस्तावेज सक्षम न्यायालय के द्वारा जारी नहीं किये जाते तब वह प्रश्नगत भूमि में हक–हिस्सा प्राप्त करने की भी अधिकारिणी नहीं है। स्व. महेन्द्रसिंह की दूसरी पत्नी शोभाकंवर के विधिक वारिसान लोकेन्द्रसिंह एवं सुश्री निक्की रही है जिनके पक्ष में ही उनकी भूमि का 1/2 – 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था।

12. रेस्पो0 संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली के समक्ष प्रकरण दर्ज होना तथा चालान पेश होना उल्लेखित किया है परन्तु उस पर किसी प्रकार का अन्तिम विनिश्चय अदालत के द्वारा अब तक नहीं लिया गया है। इसके अतिरिक्त सुश्री निक्की जो कि रेस्पो0 संख्या एक की सगी बहिन थी, जिनके अन्तिम वारिस में रेस्पो0 संख्या एक ही शेष रहा था, तो उनकी हक–हिस्से वाली भूमि भी रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में ही आनी थी, उसमें अपीलार्थी का किसी भी प्रकार से उज्र एतराज नहीं बनता है और न ही वह विधिक रूप से अपने लिये उसकी मांग कर सकती है। ऐसे में तहसीलदार रोहट न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी जसवंतकंवर के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का 1/3 हिस्सा दर्ज करने का दिया गया आदेश दिनांक 27.11.2024 भी निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में आई विरासत की भूमि में से उनके द्वारा किरण कंवर एवं रसालकंवर को पंजीकृत बेचान दस्तावेज के जरिये बेचान कर दिया गया, जिनको अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है जो भी आवश्यक था। तहसीलदार, रोहट के द्वारा जो अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि में हक–हिस्सा दिये जाने का जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2024 को पारित किया गया है, उसे उस

न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

हद तक निरस्त किया जावें तथा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जावें।

13. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों, अपीलाधीन आदेश एवं प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का बगौर अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि तहसीलदार,रोहट ने दिनांक 27.11.2024 को अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए उक्त आराजी ख0सं0 88/1 कुल रकबा 128 बीघा भूमि में मृतक खातेदार महेन्द्रसिंह पुत्र श्यामसिंह की रकबा 64.00 बीघा हिस्सा भूमि में रेस्पो0 संख्या एक लोकेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह को उक्त भूमि 1/2 हिस्सा का 2/3 भाग प्राप्त होना, लोकेन्द्रसिंह के द्वारा अपने हिस्से की रकबा 16 बीघा भूमि का बेचान रेस्पो0 संख्या 2 श्रीमती रसालकंवर व अन्य केता किरण कंवर को कर दिये जाने से लोकेन्द्रसिंह का 5/12 एवं केता किरण कंवर भाटी व रसाल कंवर का हिस्सा 1/4 एवं महेन्द्रसिंह की प्रथम पत्नी जसवंत कंवर अपीलान्ट 1/3 दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है।

14. अपीलार्थिया द्वारा अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में मुख्यतः यह कथन किया गया है कि अपीलार्थीया प्रश्नगत ख0सं0 88/1 के मृतक खातेदार श्री महेन्द्रसिंह की प्रथम जीवित पत्नी अपीलान्ट होने से महेन्द्रसिंह के हक–हिस्से वाली रकबा 64.00 बीघा भूमि में विधि के अनुसार 1/2 हिस्सा यानि 32 बीघा भूमि बनती है, अतः उनके नाम से प्रश्नगत भूमि रकबा 64.00 बीघा में 1/2 हिस्सा भूमि को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

15. अपीलार्थिया के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उनमें अपीलार्थीया स्व. महेन्द्रसिंह की पत्नी होना अंकित है, जो कि एक प्रकार से विधिक दस्तावेज है, जिन्हें राजस्व न्यायालय के द्वारा नकारा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन नामा0 संख्या 520 दिनांक 17.01.2019 के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रोहट के समक्ष प्रथम अपील पेश होने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपीलार्थिया जसवंतकंवर को स्व. महेन्द्रसिंह की पहली जायन्दा पत्नी होना स्वीकार किया गया है तथा अपीलार्थिया की प्रथम अपील को स्वीकार करते

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

हुए नामा0 संख्या 520 दिनांक 17.01.2019 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार रोहट को प्रतिप्रेषित करते हुए बाद सुनवाई व जॉच के नामा0 पर विधिसम्मत आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके आधार पर तहसीलदार रोहट के द्वारा भी अपीलार्थिया को स्व. महेन्द्रसिंह की पहली पत्नी होने सम्बन्धी तथ्यों के आधार पर उनका प्रश्नगत भूमि में 1/3 हिस्सा दर्ज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2024 पारित किये गये है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थिया जसवंतकंवर को स्व.महेन्द्रसिंह की पहली पत्नी होने के उपरान्त भी प्रश्नगत भूमि में 1/3 हिस्सा दिये जाने का जो निर्णय लिया गया है, उसे यह न्यायालय विधि सम्मत नहीं मानता है क्योंकि अपीलार्थिया प्रथम पत्नी होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान में आती है और प्रथम श्रेणी के सभी विधिक वारिसान में अचल सम्पति बराबर–बराबर हक हिस्से अनुसार प्रत्येक सदस्य में निहित होती है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.11.2024 में यह भी निष्कर्ष अंकित किया है कि "जब किसी हिन्दू व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी अचल सम्पतियॉ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्णित की जाती है, केवल चल सम्पतियों में नामांकन/नोमिनी नहीं होने की स्थिती में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और हस्तगत प्रकरण अचल सम्पति का प्रकरण होने से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अपेक्षित है।" ऐसे में जब अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थिया जसवंतकंवर को मृतक खातेदार की प्रथम पत्नी होने तथा प्रश्नगत सम्पति में उसको हिस्सा दिये जाने का आदेश पारित किया गया है तो फिर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रश्नगत सम्पति का हिस्सा/विभाजन किये जाने में इसकी पूर्णतः पालना क्यों नहीं की गई है।

16. प्रश्गनत भूमि के कुल रकबा 128 बीघा में 1/2 हिस्सा किसी अन्य का तथा मृतक महेन्द्रसिंह का 128 बीघा में से 1/2 हिस्सा भूमि अर्थात 64.00 बीघा थी। महेन्द्रसिंह की मृत्यु के बाद भूमि जसवंतकंवर, शोभाकंवर, लोकेन्द्रसिंह तथा निक्की के नाम आई तथा शोभाकंवर की मृत्यु के बाद भूमि में जसवंतकंवर, लोकेन्द्रसिंह तथा निक्की का हिस्सा शेष रहा। इस प्रकार शोभाकंवर व निक्की की मृत्यु के बाद प्रश्नगत भूमि जसवंतकंवर तथा लोकेन्द्र के नाम 1/2–1/2 हिस्सा भूमि के रूप में शेष रही,

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अर्थात् 32 बीघा जसवंतकंवर के नाम तथा 32 बीघा लोकेन्द्रसिंह के नाम शेष रही। लोकेन्द्रसिंह के द्वारा 16–16 बीघा भूमि का दो बार हस्तान्तरण/बेचान किया गया है, इसलिये लोकेन्द्रसिंह द्वारा अपने हिस्से की समस्त 32 बीघा भूमि का हस्तान्तरण/बेचान कर दिया है। इस तरह प्रश्नगत आराजी में शेष बची 32.00 बीघा भूमि जसवंतकंवर की है।

17. इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों/ दस्तावेजों अपील में उल्लेखित किये गये तथ्यों/विधि के प्रावधानों इत्यादि के अवलोकन के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपीलार्थिया की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2024 पारित किया गया है उसे विधि के अनुरूप एवं उचित पारित किया हुआ नहीं माना जा सकता है जिसे निरस्त करते हुए प्रकरण को उपरोक्त ऑब्जर्वेशन्स एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत मृतक खातेदार स्व. महेन्द्रसिंह की उपरोक्त प्रश्नगत भूमि का उनके वारिसान के मध्य विधि के अनुरूप हक–हिस्सा निर्धारण/निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रोहट को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

18. अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रोहट के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2024 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रोहट को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशन्स एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत मृतक खातेदार स्व. महेन्द्रसिंह की उपरोक्त प्रश्नगत भूमि का उनके वारिसान के मध्य विधि के अनुरूप पुनः हक–हिस्सा निर्धारण/निस्तारण करें। निर्णय आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर